

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 277]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 जुलाई 2021—आषाढ़ 16, शक 1943

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2021

अधि. क्र. 13-एफ-1-09-2021-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 की सहपठित धारा 73 तथा 37 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 तथा 356 के साथ पठित धारा 70 तथा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका (मेयर-इन-काउंसिल/प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम-5, नियम-6, नियम-7 तथा नियम-8, का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण राठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2021

क्र. एफ-1-09-2021-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13 एफ 1-09/2021/अठारह-3, दिनांक 7 जुलाई 2021 का हिन्दी/अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण राठी, उपसचिव.

Bhopal, the 7th July 2021

Noti. No.-13-F-1-09-2021-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 37 and 73 read with Section 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 70 and 110 read with Section 355 and 356 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Municipalities (The Conduct of the Business of the Mayor-in-Council/President-in-Council and the powers and functions of the authorities) Rules, 1998, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, Rule-5, rule-6, rule-7 and rule-8 shall be deleted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
TARUN RATHI, Dy. Secy.